राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :–13/2020

बंशीलाल व्यास **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवाएं जोधपुर।
4. मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, पाली
5. रामस्वरूप चौधरी, कनिष्ठ लिपिक/कनिष्ठ सहायक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, पाली
6. सज्जा राम कनिष्ठ लिपिक/कनिष्ठ सहायक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, पाली

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : **23.01.2020**
आदेश की दिनांक : 28.08.2024

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री यशपाल खिलेरी, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री शैलेन्द्र सिंह राठौड़, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति बेलदार/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर सिचांई विभाग में दिनांक 01.07.1984 को हुई थी, उसके बाद अपीलार्थी को अधिशेष कर्मचारी घोषित किये जाने के कारण अपीलार्थी को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में पदस्थापित किया गया। अपीलार्थी की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें विभाग द्वारा दिनांक 31.08.2016 को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की अंतरिम वरिष्ठता सूची जारी की गई थी, जो दिनांक 01.04.2013 की स्थिति के संबंध में थी। उक्त अंतरिम वरियता सूची में अपीलार्थी को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें विभाग में दिनांक 01.04.1990 से नियुक्त मानते हुए, वरिष्ठता निर्धारित की गई। अपीलार्थी के

अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की सिचांई विभाग की पूर्व की सेवाओं को वरियता सूची में शामिल नहीं किया जा रहा है, जो गलत है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि इस संबंध में संयुक्त निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेंवाये, जयपुर द्वारा दिनांक 17.01.2019 को संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेंवाये, जोन जोधपुर को पत्र प्रेषित कर यह स्पष्ट किया गया था कि अपीलार्थी को उसकी प्रथम नियुक्ति तिथी 01.07.1984 से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संवर्ग में वरियता निर्धारित करे। इसके बावजूद भी अपीलार्थी की वरियता दिनांक 01.07.1984 से निर्धारित नहीं की गई है, जो उचित नहीं है।

2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकित किया गया है कि अपीलार्थी की वरियता का निर्धारण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में कार्यग्रहण की तिथी से होगा, न कि सिचांई विभाग की कार्यग्रहण तिथी से।

3. दोनो पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों से हम यह पाते है कि अपीलार्थी को अधिशेष घोषित किये जाने के बाद अपीलार्थी की नियुक्ति चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में हुई थी। अपीलार्थी की पूर्व की सेवाओं की गणना करने के लिये और दिनांक 01.07.1984 से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की सेवाओं को शामिल करने के लिये संयुक्त निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेंवाये, जयपुर द्वारा दिनांक 17.01.2019 को संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेंवाये, जोन जोधपुर को पत्र प्रेषित कर निर्देश दिये जाने के पश्चात अपीलार्थी को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संवर्ग में दिनांक 01.07.1984 से वरियता प्रदान की जानी चाहिये। इस आधार पर अपीलार्थी की यह अपील स्वीकार की जाती है और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते है कि अपीलार्थी की सिंचाई विभाग में प्रथम नियुक्ति तिथी 01.07.1984 से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्रेणी संवर्ग में वरिष्ठता निर्धारित करें तथा अपीलार्थी को इसके समस्त पारिणामिक परिलाभ भी प्रदान किये जावे। अपीलार्थी को यदि कोई बकाया राशि (ऐरियर) देय हो तो उक्त बकाया राशि 6 प्रतिशत सामान्य ब्याज दर के साथ भुगतान की जावे। यह समस्त कार्यवाही आदेश प्राप्ति की दिनांक से 3 माह में सुनिश्चित की जावे।

(असलम मेहर)
सदस्य

(अनन्त भण्डारी)
सदस्य (न्यायिक)

NDG/-